उत्तर प्रदेश शासन

कृषि अनुभाग-5

संख्या-9/2019/204(2)/12-5-2019-सा0-01/2019

लखनऊः दिनांक 07 फरवरी, 2019

शुद्धि पत्र

समस्त जिलाधिकारी,

उत्तर प्रदेश।

शासनादेश संख्या-8/2019/204/12-5-2019-सा0-01/2019, दिनांक 06.02.2019 के साथ संलग्नक के पृष्ठ-2 के प्रस्तर-8 की 5वीं पंक्ति में अंकित **तीन अवस्यक** के स्थान पर **तीनों वयस्क** पढ़ा जाए।

2- शासनादेश दिनांक 06.02.2019 के प्रस्तर-1 के उप प्रस्तर-14 में उल्लिखित सत्यापन के प्रपत्र का प्रारूप **(प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हेतु किसान से संबंधित विवरण के सत्यापन का रूप-पत्र)** भी संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

3- उक्त संदर्भित शासनादेश संख्या-8/2019/204/12-5-2019-सा0-01/2019, दिनांक 06.02.2019 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए।

संलग्नक-यथोक्त।

अमित मोहन प्रसाद
प्रमुख सचिव।

संख्या-9/2019/204(2)/12-5-2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को उनके पत्र सं0-1-1/2019/ क्रेडिट.1 दिनांक 01 फरवरी, 2019 के सन्दर्भ में।
2- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
4- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
5- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
6- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
7- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
8- निजी सचिव, मा0 कृषि मंत्री, उ0प्र0 शासन।
9- कृषि निदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
10- निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उ0प्र0, लखनऊ।
11- समस्त उप कृषि निदेशक, उ0प्र0।
12- गार्ड फाईल

आज्ञा से,
वीरेन्द्र कुमार
अनुसचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हेतु किसान से सम्बंधित विवरण के सत्यापन का रूपपत्र

| जनपद | क्षेत्र | | |